



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर०एम०ए० नं०-01/2009-10

आर०एम०ए० नं०-46/2008-09

आर०एम०ए० नं०-42/2008-09

नुनूलाल उर्फ मुनीलाल राय वगै

बनाम्

पूरन राय वगै

—: आदेश :—

दिनांक 15/5/23

आर०एम०ए० नं०-46/2008-09 (मुनीलाल उर्फ नुनूलाल राय वगै बनाम् पूरन राय) एवं आर०एम०ए० नं०-42/2008-09 (गुलाबी राय वगै बनाम् प्रमीला देवी) भी इस अपील वाद के जमीन से संबंधित होने के कारण उक्त अपील वाद को भी इस वाद से संबद्ध किया गया है।

उत्तरवादी के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण अपीलकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्ता नुनूलाल उर्फ मुनीलाल राय वो जलधर राय, पे०-स्व० सुकदेव राय वो गुलाबी राय, पे०-स्व० वासुदेव राय सभी साकिनान-गोढ़ीघाट, थाना-गोड्डा टाउन, जिला-गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्तागण ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर०ई०आर० केश नं०-120/07-08 के आदेश दिनांक-08.09.2008 के विरुद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर०ई०आर० केश नं०-120/2007-08 के आदेश दिनांक-08.09.2008 के द्वारा मौजा-गोढ़ीघाट, जमाबंदी सं०-43, दाग नं०-159 एवं 160 रकवा 02-06-17 धुर जमीन से अपीलकर्तागण को उच्छेद किया गया है।

अपीलकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वर्तमान अपील वाद के उत्तरवादी के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में अपीलकर्तागण के विरुद्ध मौजा-गोढ़ीघाट, जमाबंदी सं०-43, दाग नं०-159 एवं 160 रकवा 02-16-17 धुर जमीन से उच्छेद करने के लिए आर०ई०आर० केश नं०-120/2007-08 दायर किया था। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने दिनांक-08.09.2008 को एकतरफा आदेश पारित कर अंचल अधिकारी, गोड्डा को उच्छेद किये जमीन पर दखल दिलाने के लिए

आदेश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के उक्त आदेश के आलोक में अंचल अधिकारी, गोड्डा ने दिनांक-13.12.2008 को नोटिश निर्गत किया गया। उक्त नोटिश के आधार पर अपीलकर्तागण के द्वारा अंचल अधिकारी, गोड्डा के समक्ष अपना कारण-पृच्छा दाखिल किया गया। दाखिल कारण-पृच्छा में अपीलकर्तागण के द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा पारित आदेश गलत है। क्योंकि अपीलकर्तागण एवं उत्तरवादी एक ही वंशावली से संबंधित है तथा दोनों गोतिया है और दोनों का उक्त जमाबंदी की जमीन पर समान अधिकार है। लेकिन अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा अपीलकर्तागण के कारण-पृच्छा में उल्लेख तथ्यों को अनदेखी करते हुए उक्त जमीन पर दखल दिहानी दिलाकर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को कार्यान्वयन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उनका आगे कथन है कि दोनों ही पक्ष उक्त जमाबंदी के जमाबंदी रैयत के वंशावली के अन्तर्गत आते हैं। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया है। अपीलकर्तागण के द्वारा अपील आवेदन के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन दिया गया है।

प्रक्रिया चलने के दौरान उत्तरवादी विद्यार्थी राय की मृत्यु हो गयी। उनके स्थान पर उनके पुत्र पुरन राय को प्रतिस्थानी पक्षकार बनाया गया है।

उत्तरवादी की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है। उसमें उल्लेख किया है कि अपीलकर्तागण उक्त जमाबंदी के जमाबंदी रैयत के सह हिस्सेदार नहीं हैं। वे लोग बाहरी व्यक्ति हैं। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने अपीलकर्तागण के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

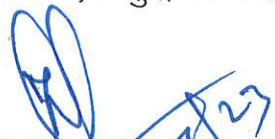
इस संबंध में अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक-162/रा0 दिनांक-15.02.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया है कि मौजा -गोढ़ीमाल थाना सं0-503, जमाबंदी सं0-43, कुल रकवा 01-03-17 धुर जमीन जमाबंदी रैयत बीशनाथ राए वो महादेव राए वो शहदेव राए पेशरान भभीछन राए वो उत्तीम राए वो लहवर राए वो कुशहर राए पेशरान कदरू राए कौम घटवाल शा0 गोढ़ीघाट के नाम से गत सर्वे खतियान में दर्ज है। अपीलकर्तागण मुनीलाल राए वो जलधर राए पिता सुकदेव राए वो गुलाबी

राए पिता-बासुदेव राए मौजा-गोढ़ीमाल थाना नं०-503 जमाबंदी सं०-43 में अंकित जमाबंदी रैयत के वंशक्रम में नहीं आते हैं। उत्तरवादी विद्वार्थी राए जमाबंदी रैयत महादेव राए का पुत्र है। अपीलकर्तागण द्वारा बताया गया कि जमाबंदी रैयत बीशनाथ राए वो महादेव राए वो शहदेव राए के पांच सहोदर भाई थे, परन्तु दो भाई सुकदेव राए एवं बासुदेव राए का नाम जमाबंदी सं०-43 में दर्ज नहीं है। सभी तथ्यों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उभयपक्षों के बीच स्वत्व को लेकर विवाद है, जिसका निस्तारण सक्षम न्यायालय से किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा-गोढ़ीमाल थाना सं०-503, जमाबंदी सं०-43, कुल रकवा 01-03-17 धुर जमीन जमाबंदी रैयत बीशनाथ राए वो महादेव राए वो शहदेव राए पेशरान भभीछन राए वो उत्तीम राए वो लहवर राए वो कुशहर राए पेशरान कदरू राए कौम घटवाल शा० गोढ़ीघाट के नाम से गत सर्वे खतियान में दर्ज है। अपीलकर्तागण के द्वारा दावा किया गया है कि दोनों ही पक्ष उक्त जमाबंदी के जमाबंदी रैयत के वंशावली के अन्तर्गत आते हैं। लेकिन अंचल अधिकारी, गोड़डा से प्राप्त प्रतिवेदन में भी उल्लेख है कि अपीलकर्तागण मुनीलाल राए वो जलधर राए पिता सुकदेव राए वो गुलाबी राए पिता-बासुदेव राए मौजा-गोढ़ीमाल थाना नं०-503 जमाबंदी सं०-43 में अंकित जमाबंदी रैयत के वंशक्रम में नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलकर्तागण का दावा सही नहीं है। अतएव अनुमंडल पदाधिकारी, गोड़डा के न्यायालय के आर०ई०आर० केश नं०-120/07-08 के आदेश दिनांक-08.09.2008 नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड़डा क आर०ई०आर० केश नं०-120/07-08 के आदेश दिनांक-08.09.2008 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्तागण के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त,
गोड़डा।


उपायुक्त,
गोड़डा।

